



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 20 नवम्बर, 2020

कार्तिक 29, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 1695/9-1-2020-15टी0ए0-20

लखनऊ, 20 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-340

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, जिस अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार जनसामान्य की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियां या सुझाव आमन्त्रित किये जाने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2-प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में, आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

### अधिसूचना का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येत्तर कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करती हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमाएं नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, भारत का संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ संक्रमणशील क्षेत्र होगा और उक्त संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत चौक, जिला महाराजगंज के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची-1  
नगर पंचायत चौक, जिला महाराजगंज का प्रादेशिक क्षेत्र

क्रमांक	दिशा	ग्राम का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र की गाटा संख्या
1	मध्य	चौक (आंशिक)	गाटा संख्या 371 से गाटा संख्या 1801 तक
2	पूर्व	ओबरी (आंशिक)	गाटा संख्या 286 से गाटा संख्या 646 तक
		बरगदही बसंतनाथ (आंशिक)	गाटा संख्या 218 से गाटा संख्या 646 तक
3	दक्षिण	केवलापुर कलां	गाटा संख्या 01 से गाटा संख्या 335 तक
4	पश्चिम	धरमपुर (आंशिक)	गाटा संख्या 01 से गाटा संख्या 316 तक
		टेगरहना (आंशिक)	गाटा संख्या 01 से गाटा संख्या 146 तक
		सोनाड़ी खास (आंशिक)	गाटा संख्या 02 से गाटा संख्या 398 तक

आज्ञा से,  
दीपक कुमार,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1695/IX-1-2020-15T.A.-20, dated November 20, 2020:

No. 1695/IX-1-2020-15T.A.-20  
Dated Lucknow, November 20, 2020

THE following draft notification which the Governor proposes to issue in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India *read* with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916) is hereby published for the information of the general public and with a view to inviting objections or suggestions in respect thereof as required under sub-section (1) of section 4 of the said Act.

2. Objections or suggestions, if any, with respect to the proposed notification should be sent in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Nagar Vikas Anubhag-1, Babu Bhawan, Lucknow. Only such objections and suggestions shall be taken into consideration as are received within fifteen days from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

**Draft Notification**

IN exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution *read* with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916), the Governor having regard to the population of the area, the density of population therein, the revenue generated for the local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities and the economic importance, is pleased to specify that the local area the limits of which is specified in the Schedule below, shall be a transitional area for the purpose of Part IX-A of the Constitution of India and there shall be constituted for the said transitional area a Nagar Panchayat to be known as Nagar Panchayat Chowk in District Mahrajanj.

SCHEDULE

**Territorial Area of Nagar Panchayat Chowk in District Mahrajganj**

Sl. N.	Direction	Name of Village	Gata No. of included Area
1	Middle	Chowk (Partial)	371 to 1801
2	East	Obri (Partial)	286 to 646
		Bargadhi Basantnath (Partial)	218 to 646
3	South	Kevlapur kala	01 to 335
4	West	Dharampur (Partial)	01 to 316
		Tegrahna (Partial)	01 to 146
		Sonadi Khas (Partial)	01 to 398

By order,  
DEEPAK KUMAR,  
*Pramukh Sachiv.*